

दिनांक 15/09/2017 को श्रम संसाधन विभाग, नियोजन भवन में आयोजित मजीठिया बेज बोर्ड की अनुशंसा को लागू करने हेतु त्रिपक्षीय अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति-

- (1) श्री दीपक कुमार सिंह,  
प्रधान सचिव-सह- अध्यक्ष  
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
- (2) श्री गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार।
- (3) श्री बीरेन्द्र कुमार,  
संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार।

#### प्रबंधन पक्ष

- (1) श्री मनोज दुबे,  
दैनिक जागरण समाचार पत्र पटना,  
रश्मि कॉम्प्लेक्स, किदवईपुरी।
- (2) संदीप कुमार  
डी० वी० कॉर्प लिमिटेड, दैनिक भास्कर ग्रुप,  
आशा मार्केट, बाईपास, अनिसाबाद, पटना।
- (3) अनुज कुमार  
प्रभात खबर।

#### कामगार पक्ष

- (1) श्री प्रभाष रंजन,  
अखिल बिहार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट,  
बी-163 पी०सी० कॉलोनी, कंकडबाग, पटना।
- (2) श्री तारकेश्वर सिंह,  
दी टाईम्स ऑफ इंडिया,  
न्यूज पेपर इम्पलाईज यूनियन,  
फ्रेजर रोड, पटना।
- (3) श्री आर०पी० सिंह  
दी टाईम्स ऑफ इंडिया,  
न्यूज पेपर इम्पलाईज यूनियन,  
फ्रेजर रोड, पटना।
- (4) श्री दिनेश कुमार सिंह,  
बिहार जर्नलिस्ट एसोसिएशन,  
पत्रकार नगर, पटना।
- (5) श्री एस०एन० श्याम,  
प्रदेश अध्यक्ष,  
बिहार प्रेस मेन्स यूनियन।
- (6) श्री सुधाशु कुमार सतीश,  
प्रदेश महासचिव,  
बिहार प्रेस मेन्स यूनियन।

(7) श्री चन्द्रशेखर प्रसाद,  
आज प्रेस, फ्रेजर रोड, पटना।

(8) श्री संजय कुमार,  
छायाकार,  
आज हिन्दी दैनिक,  
फ्रेजर रोड, पटना।

सर्वप्रथम प्रधान सचिव, श्रम ससाधन विभाग द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और समाचार पत्रों एवं एजेन्सियों के गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा यथा स्वीकृत मजीटिया वेज बोर्ड के सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में कामगारों के प्रतिनिधियों एवं प्रबंधन के प्रतिनिधियों को अपना-अपना पक्ष विन्दुवार रखने को कहा गया।

श्रमायुक्त, बिहार द्वारा बताया गया कि मजीटिया वेज बोर्ड की अनुशंसा पर भारत सरकार के उप महानिदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में द्वारा पारित आदेशों को अक्षरशः पालन करने की दिशा में की गई कार्रवाई का वर्णन निम्न प्रकार किया :-

1. WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITION OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1955 के अन्तर्गत धारा-17(B) में निरीक्षक घोषित किया है तथा निरीक्षकों को धारा 17 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मजीटिया वेज बोर्ड की अनुशंसाओं को लागू कराने के लिए सभी उप श्रमायुक्तों, सभी सहायक श्रमायुक्तों, सभी श्रम अधीक्षकों को निदेशित किया है।

2. विभागीय अधिसूचना सख्या-53 दिनांक 18.03.2015 द्वारा WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITION OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1955 की धारा 17(1) के अन्तर्गत पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों से प्राप्त निवेदनों को सुनवाई एवं निपटारों के लिए सरकार के उप सचिव श्रम ससाधन विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया गया है।

3. विभागीय पत्रांक-4160 दिनांक 29.09.2016 एवं पत्रांक-4399 दिनांक 17.10.2016 द्वारा निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के आलोक में समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में कार्यरत कुल 167 कर्मियों द्वारा Form-C में अपना आवेदन समर्पित किया गया है, जिसे संबंधित जिले के श्रम अधीक्षक को भेज कर दायों की सत्यता की जाँच करा कर आवश्यक कार्रवाई हेतु उपसचिव, श्रम ससाधन विभाग को समर्पित किया गया है, जिस पर सुनवाई चल रही है।

श्रमायुक्त, बिहार ने यह भी बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सदाभित मामलों में पारित न्यायादेश के अनुपालन में उनके स्तर पर निरंतर समीक्षा की जा रही है और त्रैमासिक प्रतिवेदन उप सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा जा रहा है। वर्तमान में अक्टूबर 20 समाचार पत्रों के नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन दायर किये जा चुके हैं।

दिनांक 19.06.2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सदाभित अवमाननावाद में WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITION OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1955 की धारा 17(B) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्रवाई करने का निदेश सभी निरीक्षकों को दिया गया है। इसी सदर्भ में सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निदेश के आलोक में अनुवर्ती कार्रवाई करने का निदेश सभी उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक को दिया गया है।

श्रमायुक्त, बिहार द्वारा यह भी बताया गया कि सचिव के आधार पर अगर कामगारों (गैर पत्रकारों/पत्रकारों) को काम पर रखा जाता है तो अखबार प्रबंधन को ठंका मजदूर अधिनियम 1970 के अन्तर्गत लाईसेन्स लेना अनिवार्य है।

कामगार यूनियनों के प्रतिनिधियों में अपना पक्ष निम्न प्रकार से रखा है।

श्री दिनेश कुमार सिंह, महासचिव, बिहार जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा बताया गया— मजीठिया वेज बोर्ड के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी श्रम संसाधन विभाग को सौंपा गया है। Working Journalists and Other Newspaper Employees] (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 की धारा 17 में कार्रवाई करने का निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है। अगर प्रबंधन जवाब नहीं देता है, तो उक्त अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। सरकार द्वारा 07 बार नोटिस दिये जाने के बावजूद प्रबंधन की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। प्रबंधन से कामगारों का पे स्लीप तथा अनुशंसा लागू करने के पूर्व का पे स्लीप एवं फिटमेंट चार्ट की मांग जाय। अभी तक मात्र 10 लोगों को मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसा का लाभ मिला है। अभी तक बिहार में श्रम संसाधन विभाग के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 17 ए 3 के तहत विभाग को जांच करने एवं रजिस्टर सीज करने का अधिकार दिया है।

2. श्री प्रभाष रंजन— आज पूरे बिहार में कहीं भी मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसाओं को लागू नहीं किया जा रहा है। यदि कोई आदमी इसे लागू करने के लिए आवाज उठाता है तो उसे हटा दिया जाता है। सिवान में एक पत्रकार ने आवाज उठाई जो उसे हटा दिया गया। जब पूरे यूनियन ने आवाज उठाई तब जाकर उसे वापस रखा गया।

3. श्री एस0एन0 श्याम, वरीय पत्रकार, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रेस मेन्स यूनियन द्वारा अपना पक्ष निम्न प्रकार से रखा गया।

1. मजीठिया के अनुपालन में समाचार पत्र प्रतिष्ठान/कार्यालय की जांच क्यों नहीं की जा रही है?
2. किस ग्रेड में कौन सामाचार पत्र प्रबंधन अपने को घोषित किये हुए है इसकी जानकारी नहीं है? ग्रेड 8 प्रकार के हैं।
3. अखबार प्रबंधन खासकर हिन्दुस्तान ग्रुप/टाईम्स ऑफ इंडिया ग्रुप/दैनिक भास्कर/आज/प्रभात खबर द्वारा पत्रकारों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। जो पत्रकार मजीठिया वेज बोर्ड के तहत वेतन की मांग करते हैं उनका तबादला मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर/श्रीनगर/झारखण्ड कर दिया जा रहा है। आज अखबार प्रबंधन तो सीधे अपने कर्मचारी को बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी से निकाल देता है।
4. मजीठिया वेज बोर्ड के अनुपालन का अर्थ यह नहीं है कि प्रबंधन दंडात्मक कार्रवाई करे। लगातार समाचार प्रबंधन द्वारा की जा रही दंडात्मक कार्रवाई से पत्रकारों गैर पत्रकारों में दहशत है। यही कारण है कि पूरे बिहार में 167 मामले मात्र फाईल हुये हैं।
5. किसी भी अखबार के प्रबंधन द्वारा बैलेंस सीट की जांच नहीं करायी जा रही है। किसी भी समाचार पत्र प्रबंधन ने जांच में किसी अधिकारी को अपना बैलेंस सीट प्रस्तुत नहीं किया है?
6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 19/06/17 के आदेश का अनुपालन में पटना/गया/मुजफ्फरपुर/भागलपुर के श्रम विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों द्वारा वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट 1955 की धारा 14 के तहत कौन सी कार्रवाई की गयी? अभिलेखों की जांच की गयी क्या?
7. सभी अखबारों के प्रबंधन द्वारा किसी भी पत्रकार/गैर पत्रकार को मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो इम्पलाईज का बैंक स्टेटमेंट जांच पदाधिकारी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है?
8. सभी अखबार प्रबंधन के मालिक वर्ग सभी तथ्यों को छिपा रहे हैं। प्रबंधन/मालिक वर्ग मात्र यह कह रहे हैं कि मजीठिया वेज बोर्ड की रिपोर्ट के नियम 20 (j) के तहत अपने को सेफजोन में समझ रहे हैं परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई कामगार/पत्रकार/गैर पत्रकार कम वेतन पर कैसे संतुष्ट हो सकता है? अतः कामगार यूनियन 20 (j) को मानने से या प्रबंधन द्वारा मनवाने से इंकार किया है।
9. सारे अखबार के मालिक मजीठिया के तहत वेतन पूर्ण निर्गत नहीं कर रहे हैं।

10. किसी भी अखबार मालिक के पास स्टैंडिंग आर्डर नहीं है जिससे यह समझा जा सके कि कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्तों क्या निर्धारित है?
11. श्रम संसाधन विभाग के उप सचिव मजीठिया मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उप सचिव को इस संबंध में जानकारी ही नहीं है कि मजीठिया क्या है और इसमें क्या करना है? जहाँ सुनवाई हो रही है वहाँ मैन पावर की भी कमी है। इसलिए वहाँ अनावश्यक विलंब के कारण सुनवाई को लंबा टाला जा रहा है।  
अतः हमारा आग्रह होगा कि किसी जानकार पदाधिकारी को इसका प्रभार दिया जाये ताकि इस मामले में त्वरित सुनवाई हो सके।
12. उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर मजीठिया लागू करने को लेकर सीधी कार्रवाई का अधिकार उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक को क्यों नहीं किया जा रहा है?
13. हमारी मांग है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई हेतु डीएलसी/एएलसी को जांच कर दंडनीय धाराओं का प्रयोग करते हुये कार्रवाई करने का आदेश दिया जाये। उत्तर प्रदेश सरकार की तरह सीधे सर्टिफिकेट की कार्रवाई का आदेश भी दिया जाये। साथ ही मजीठिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर प्रावधानों पर सख्त कार्रवाई हो।
14. मजीठिया नहीं लागू करने वाले प्रबंधन की सम्पत्ति कुर्की हो। साथ ही उन प्रबंधन को सरकारी विज्ञापन पर रोक लगे।
15. यदि अखबार प्रबंधनों को वेतन के लिए धन नहीं है तो प्रबंधन बंद करे अखबार।

श्री लाल रत्नाकर, दी टाईम्स ऑफ इंडिया, न्यूज पेपर इम्पलाईज यूनियन/श्री आर०पी० सिंह, दी टाईम्स ऑफ इंडिया, न्यूज पेपर इम्पलाईज यूनियन की ओर लिखित रूप से अपना पक्ष रखा गया, जिसमें लगभग एक ही तरह की बातों का जिक्र किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

मजीठिया बेज बोर्ड की अनुशंसाओं को पूर्णरूपेण पूरे बिहार में कहीं भी लागू नहीं किया गया है। इसे लागू करने में समाचार प्रबंधन द्वारा जालसाजी की गई है। प्रबंधन द्वारा बेज बोर्ड की अनुशंसा लागू करने हेतु आवाज उठाने पर उसे निकाल दिया जाता है। यही कारण है कि अभी तक मात्र 167 शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं। उर्दू अखबारों की स्थिति और भी बदतर है। कॉमी तंजीम उर्दू अखबार की आज तक जांच नहीं की गई है।

मजीठिया बेज बोर्ड की अनुशंसा के अनुपालन की जांच समाचार पत्र प्रतिष्ठान/कार्यालय में नहीं की जा रही है।

सभी अखबारों के प्रबंधन द्वारा किसी भी पत्रकार/गैर पत्रकार का मजीठिया बेज बोर्ड के अनुसार वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो इम्पलाईज का बैंक स्टेटमेंट जांच पदाधिकारी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है।

सभी अखबार प्रबंधन के मालिक वर्ग सभी तथ्यों को छिपा रहे हैं। प्रबंधन/मालिक वर्ग मात्र यह कह रहे हैं कि मजीठिया बेज बोर्ड की रिपोर्ट के नियम 20 (j) के तहत अपने को सेफजोन में समझ रहे हैं, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई कामगार/पत्रकार/गैर पत्रकार कम वेतन पर कैसे संतुष्ट हो सकता है? अतः कामगार यूनियन 20 (j) को नहीं मानता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20 (j) को मानने से या प्रबंधन द्वारा मनवाने से इंकार किया है।

सारे अखबार के मालिक मजीठिया के तहत वेतन पूर्ण निर्गत नहीं कर रहे हैं। एरिटर के डिटेल अखबार प्रबंधन से मांगा जाय।

किसी भी अखबार मालिक के पास स्टैंडिंग आर्डर नहीं है, जिससे यह समझा जा सके कि कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्तें क्या निर्धारित है।

